कार्यालय आदेश

विधायक निधि के अन्तर्गत श्री फकीर राम टम्टा जी, मा0 विधायक, **विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट** द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के सापेक्ष संस्तुत एवं मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था **खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट** को निम्नांकित उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त की जाती है।

1 कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत प्रसारित मार्गनिर्देशों/मानकों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें।

2 इस धनराशि को उपयोग किसी अन्य योजना में किये जाने पर विभाग की अनियमितता होगी तथा विभाग की उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

3 क- मा0लोकायुक्त के शासनादेश स0 537/xl/07/51(01) 2007/ग्राम्य विकास अनुभाग/देहरादून दिनांक 23 जुलाई 2007 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य को Detail Estimate बने जिसमें Detail Drawing and Specification अंकित हो तथा उस पर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के हस्ताक्षर हो, और तदपश्चात कार्य उसके अनुसार शत- प्रतिशत किया जाये। यदि कोई Variation(भिन्नता) हो तो सक्षम अधिकारी से Variation Statement तैयार कर Variation के कारण का औचित्य देते हुए Variation की स्वीकृत ली जाय। अंकित बिल के भुगतान से पहले Variation Statement की स्वीकृति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु गठित टीम द्वारा गुणवत्ता की जांच हो, तदुपरांत भुगतान किया जाय।

4 ख- निर्माण कार्य हेतु टोली नायक उसी व्यक्ति को बनाया जाय, जिसे इस सबंध मे पर्याप्त अनुभव हो, साथ ही निर्माण कार्यो का समय-समय पर तकनीकी पर्यवेक्षण अवर अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाय।

5 ग- सभी निर्माण कार्यों की ड्राईग स्वीकृत होनी चाहिए तथा मा0 विधायक से भी उक्त ड्राइंग पर सहमति ली जानी चाहिए एवं उक्त स्वीकृत ड्राईग के अनुसार ही कार्य पूर्ण होने चाहिए साथ ही निर्माण सम्बन्धी मानक निर्धारित कर उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व मे किसी अन्य योजना/विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना यदि व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

7 इस बात पर बल नही दिया जाना चाहिये कि चयन किये गये निर्माण कार्य के लिए अनिवार्यतः सरकारी भूमि ही हो, यह नगर पालिका/पंचायती संस्थाओं, निजि न्यासो, व्यक्तियों द्वारा अभ्यार्पित की गई है उसका उस भूमि को अभ्यर्पित करने का स्वामित्वधिकर होना चाहिए। जिला प्राधिकारियों को यथाशीघ्र सुनिश्चित करना होग कि स्थानीय भूमि का अभ्यर्पित नियमों के अन्तर्गत हो जिस अभ्यर्पित/स्थानान्तरित भूमि का अर्भ्यपण किया गया हो अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार भूमि अर्भ्यपण जैसी स्थानीय रूप से मान्यता प्राप्त पद्धति का तब तक पर्याप्त समझा है जब तक अर्भ्यपण कानूनी वैधता प्राप्त करे, साथ ही इस भूमि पर निर्मित परिसम्पत्ति उस सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी जिसके लिए निर्माण कार्य किया गया है।

8 इस योजना के अन्तर्गत आने वाले किसी भी कार्य के निए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देना निषिद्ध है यह भी प्रयास हो कि इस निधि से प्रस्ताविति कार्य उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाय।

9 स्वीकृति धनराशि से जो निर्माण कार्य किया जायेगा उसकी अवमुक्त धनराशि से व्यय की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी (प्रथम त्रैमासिक में 35 प्रतिशत, द्वितीय त्रैमासिक में 15 प्रतिशत तृतीय त्रैमासिक में 25 प्रतिशत, चतुर्थ त्रैमासिक 15 प्रतिशत)

10 स्वीकृत कार्य का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा जिसमें मा0 विधायक का नाम,योजना की लागत, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य पूर्ण होने की तिथि स्वीकृति का वर्ष अवश्य अकित किया।

11 योजना को पूर्ण करते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग/ग्राम पंचायत को हरतान्तरित करेगी जिसका उल्लेख कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र मे किया जायेगा । इस निधि से कराये जा रहे कार्यों के विवरण (वित्तीय एवं भौतिक प्रगति) की सूचना प्रतिमाह 20 तारिख से पूर्व नियमित रूप से जिला विकास अधिकारी, पिथौरागढ को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाय।

12 प्रमुख सचिव महोदया, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रसंख्या 2023/xl/17/56(21) (2007)दिनाक 5.12.2017द्वारा निर्गत विधायक नधि के संशोधित मार्ग निर्देशिका के बिन्दु संख्या-2.2 के अनुसार जहां तक शहरी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, विधायक निधि के कार्यो के लिए निजी ठेकेदारों को लगाया जा सकता है लेकिन इस हेतु निजी ठेकेदारो के चरित्र/सत्यनिष्ठा आदि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखित अनुमोदन दिये जाने पर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत किया जायेगा।

13 इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों के रख-रखाव और अनुश्रवण की व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय निकाय अथवा सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

14 सामग्री के कय के लिये वित्तीय नियमों तथा स्टोर पर्चेज रूल्स एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जाय।

15 इस योजनान्तर्गत चयनित कार्य एवं स्थान को मा0 विधायक जी सहमति के बिना एवं मुख्य विकास अधिकारी की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

16 निम्न निर्माण कार्य तीन महिने के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

17 विधायक निधि योजना के अन्तर्गत किये गये सभी कार्यों पर वित्तीय नियामों बजट मैनुवल और लेखा परिक्षण सम्बन्धी प्रकियाए मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं शासन द्वारा जारी तदविषयक शासनादेशों को पालन किया जाय।

18 इस निधि के अधीन बिना निविदा आमंत्रित किये अर्थात विभागीय पद्धति(मस्ट्रोल) कार्यादेश के आधार पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य की सीमा रू0 5.00 लाख (रू0 पाच लाख मात्र) रहेगी।

19 विधायक निधि से व्यय की जाने वाली धनराशि का ऑडिट उसी वर्ष के दो माह (अप्रेल, मई) के अन्दर किया जायेगा

20 विधायक निधि के अधीन किसी योजना विशेष हेतु स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय होने पर अवशेष धनराशि पुनः वापस की जायेगी। योजना में स्वीकृत धनराशि से अधिक की धनराशि का भुगतान इस स्तर से नहीं किया जायेगा।

21 इस निधि के अन्तर्गत कार्य की लागत से कम व्यय होने पर बचत की धनराशि किसी औचित्यपूर्ण कारण से अप्रयुक्त धनराशि तथ ब्याज की धनराशि को प्रत्येक दशा मे राजकोष मे जमा किया जाना होगा।

22 निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की भी यह जिम्मेदारी होगी कि वे नियमित रूप से इन निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करे कि निर्माण कार्यों मे निर्धारित प्रकिया एवं विशिष्टियों के अनुसार संतोषजनक प्रगति हो रही हैं।

23 विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अनुश्रवण व्यवस्था हेतु MIS एवं Geotagging की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाये।

Scanned with CamScanner

24 योजनान्तर्गत किये गये समस्त कार्यों का सामाजिक सम्प्रेक्षण (Social Audit) कराया जाना अनिवार्य होगा।

25 मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कार्यकारिणी को इस प्रतिबन्ध के साथ कि कार्य का आगणन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र किसी सक्षम स्तर के अधिकारी जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

26 व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेंट रूल्स 2008 एवं 2017 तथा अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27 शासन स्तर से समय–समय पर दिये गये निर्देशों के कम में जी0एस0टी0/टी0डी0एस0 करों की कटौती नियमानुसार सुनिश्चित की जायें।

28 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्थाओं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्तपोषित है कि लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है यथा सम्भव अपने स्तर से ही सूचना उपलब्ध करा सकें।

29 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व की मध्य एवं योजना पूर्ण होने पर तीनो स्तरों की फोटोग्राफस लिया जाय।

30 कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माणधीन योजना वन भूमि न हो एवं स्वामित्व विवाद न हो।

31 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संदर्भित योजना जल जीवन मिशन या अन्य विभाग द्वारा निर्मित न की जा रही हो।

32 विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का कय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाईट कय मे गुणवत्ता/रख–रखाव इत्यादि उरेडा विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

संलग्न– योजना का विवरण।

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रथम किस्त अवमुक्त लाख रू0 में (75%)
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत सुरखाल के तोक कमद में सार्वजनिक सुरक्षात्मक कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	पूर्व में प्रथम किस्त प्रेषित
2	ग्राम जाखनी उप्रेती देवी मन्दिर के पास सार्वजनिक विश्राम गृह निर्माण	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	पूर्व में प्रथम किस्त प्रेषित
3	ग्राम पंचायत जिखडी में देवी मन्दिर के पास सार्वजनिक सुरक्षात्मक कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	पूर्व में प्रथम किस्त प्रेषित
4	ग्राम पंचायत डयूलहरकोट में सैम मन्दिर के पास सार्वजनिक सुरक्षात्मक कार्य।	अ0जा0	2024-25	2.00	2.00	पूर्व में प्रथम किस्त प्रेषित
	योग			**5.00**	**5.00**	

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को धनराशि अवमुक्त

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रथम किस्त अवमुक्त लाख रू0 में (75%)
1	2	3	4	5	6	7
1	ग्राम पंचायत टिम्टा के तोक नौला छीना में सार्वजनिक भवन का निर्माण	अ0जा0	2024-25	2.00	2.00	1.50
2	ग्राम पंचायत चहज में निगलठी की ओर सपर्क मार्ग	सामान्य	**2023-24**	5.00	5.00	**पूर्व में एकमुश्त प्रेषित**
3	ग्राम सभा नाकोट में गंगानाथ मन्दिर सौन्दर्यीकरण का अवशेष कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.75
4	गंगोलीहाट के गणाई–सेराघाट मुख्य मोटर मार्ग से इक्लूगाडा हेतु सम्पर्क मार्ग	सामान्य	2024-25	2.50	2.50	1.875
5	ग्राम चौड धुरौली के कफल तोक में सार्वजनिक भवन निर्माण	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.125
6	ग्राम पचायत निगलटी से बडेना की ओर सपर्क मार्ग	सामान्य	**2023-24**	5.00	5.00	**पूर्व में एकमुश्त प्रेषित**
	योग			**17.00**	**17.00**	**5.250**

कार्यदायी संस्था खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	मात्राकृत योजना	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	प्रशासनिक स्वीकृत धनराशि लाख रू0 में	कार्य का मूल्यांकन लाख रू0 में	प्रथम किस्त लाख रू0 में	द्वितीय किस्त अवमुक्त लाख रू0 में 25(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम पचायत घोडासिल में हरूनाथ मन्दिर के पास सार्वजनिक भवन निर्माण।	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	2.00000	1.50000	0.50000
2	ग्राम पंचायत नायल के तल्लीनायल में सार्वजनिक स्थल में लोहारबाडा निर्माण कार्य	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.98792	0.75000	0.23792

D:\109\Vidhayak Nidhi 2024-25\6 Fund Release Letter.docx

Scanned with CamScanner

3	ग्राम ननौलीकडा में चौरपाल मोटरमार्ग के डाना तोक से दरपान सिंह के घर की ओर जाने वाले सार्वजनिक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.99966	1.50000	0.49966
4	ग्राम पंचायत सुगडी में सुगडी नौले से कोटगाडी मन्दिर तक सी0सी0/खडण्जा निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.99982	1.50000	0.49982
5	ग्राम पचायत जीबल मे छुरमल मन्दिर के पास सार्वजनिक चौपाल एव चाहरदिवारी निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.49468	1.12500	0.36968
6	ग्राम पंचायत कोठेरा मे कंचन कोठारी के घर से भुमुकाधारी तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99983	0.75000	0.24983
7	नगर पालिका गंगोलीहाट के अन्तार्गत पतारवाडा में कालसन मन्दिर सौन्दर्यकरण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99954	0.75000	0.24954
8	अ0जा0 बस्ती पुनौली मे कालसन मन्दिर से खुशाल के घर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	अ0जा0	2024-25	1.50	1.50	1.49577	1.12500	0.37077
9	ग्राम पचायत जिखडी में राजन राम के घर से गढसीला तक सी0सी/खडण्जा निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99964	0.75000	0.24964
10	ग्राम पंचायत चाक के तोक लटटूधार के राममन्दिर से जुगलापानी धारा के लिए खडण्जा/सी0सी0 निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99973	0.75000	0.24973
11	मुख्य सडक से रा0प्रा0वि0 तिमाडी हेतु सार्वजनिक सी0सी0 कार्य	अ0जा0	2024-25	1.50	1.50	1.49750	1.12500	0.37250
12	ग्राम पंचायत जातडी में गणेश राम के घर से ध्यौखायी की ओर सी0सी0 मार्ग कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.99597	1.50000	0.49597
13	ग्राम पंचायत पिल्खी में गंगनाथ मन्दिर में चाहरदिवारी कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99803	0.75000	0.24803
14	वार्ड–5 पटक्युडा के हाथी गौन खेल मैदान में सुरक्षा दिवार एवं विस्तारीकरण कार्य	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.99973	1.50000	0.49973
15	नगरपालिका गंगोलीहाट वार्ड 03 पल्ली चौडियार में आलोक उप्रेती के घर से हेम उप्रेती के घर तक सार्वजनिक सी0सी0 मार्ग निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.50000	1.12500	0.37500
16	ग्राम पंचायत गंगोलीहाट के हनेरा वार्ड में मदन सिंह के घर की ओर सी0सी0/खडण्जा	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.83848	1.50000	0.33848
17	ग्राम पंचायत जजूट के राम रूप गाड में पुलिया निर्माण	अ0जा0	2024-25	1.50	1.50	1.49448	1.12500	0.36948
18	ग्राम पंचायत काण्डा चौनाला में तोक खटाना के हरू मन्दिर के चौपाल/मैदान स्थल विकास कार्य।	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.49516	1.12500	0.37016
19	ग्राम पंचायत ननोली में बिरोली मन्दिर के पास चौपाल स्थल विकास कार्य।	सामान्य	2024-25	3.00	3.00	2.86372	2.25000	0.61372
20	ग्राम पंचायत जमतोला के तोक तालसिमोली में सार्वजनिक स्थल सौन्दर्यीकरण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99918	0.75000	0.24918
21	ग्राम पंचायत नायल में तोक मुखाडा में गंगानाथ मेला स्थल सौन्दर्यीकरण कार्य।	सामान्य	2024-25	3.00	3.00	2.97496	2.25000	0.72496
22	ग्राम पचायत बज्यूडा में खड़की मोटर मार्ग से बज्यूडा गांव की ओर लिंक रोड़ निर्माण कार्य।	अ0जा0	2024-25	2.50	2.50	2.49482	1.87500	0.61982
23	ग्राम पंचायत भिनगडी के तोक गांवखेत में कालषण मन्दिर सौन्दर्यीकरण	अ0जा0	2024-25	1.00	1.00	0.90469	0.75000	0.15469
24	ग्राम पचायत सिन्यूडा के लिसर तोक में चौपाल स्थल विकास कार्य।	अ0जा0	2024-25	1.50	1.50	1.49894	1.12500	0.37394
25	ग्राम पंचायत सन्यूडा में हरज्यू मन्दिर के पास सार्वजनिक चाहरदिवारी निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.97296	0.75000	0.22296

Scanned with CamScanner

26	ग्राम पंचायत धराड़ी में हरज्यू मन्दिर के पास बैठक स्थल विकास कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.97253	0.75000	0.22253
27	ग्राम पंचायत पिप्पुड़ा के तोक खाली में चौपाल स्थल विकास कार्य।	सामान्य	2024-25	2.00	2.00	1.95654	1.50000	0.45654
28	ग्राम पंचायत सिमलता में गंगनाथ मन्दिर सौन्दर्यीकरण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99524	0.75000	0.24524
29	ग्राम पंचायत गुनाकिटाल के तोक चौढ़ीगाड़ में चौपाल स्थल विकास कार्य।	सामान्य	2024-25	1.50	1.50	1.49965	1.12500	0.37465
30	ग्राम पंचायत चौकी में डिग्री कालेज मढ़ाई से सिल्कोट रास्ते में सुरक्षात्मक दिवार कार्य	सामान्य	2024-25	2.50	2.50	2.49571	1.87500	0.62071
31	ग्राम पंचायत चौकी सिलकोट के तोक सिलकोट में सार्वजनिक भवन की चाहरदीवारी का कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99995	0.75000	0.24995
32	ग्राम पंचायत नायल के तल्लीनायल के हरज्यू मन्दिर सौन्दर्यीकरण व सुरक्षा दिवार निर्माण कार्य।	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99820	0.75000	0.24820
33	ग्राम पंचायत गोल्थीचौड़ा में फकीर सिंह बोरा के घर से बहादुर सिंह के घर की ओर सार्वजनिक सी०सी० / खड़ण्जा निर्माण कार्य	सामान्य	2024-25	1.00	1.00	0.99331	0.75000	0.24331
	योग			**51.00**	**51.00**	**50.41634**	**38.25000**	**12.16634**

टिप्पणी : कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सार्वजनिक भवन निर्माण में कोई धार्मिक निर्माण ना किया जाए, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

ह0 / –
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़

पत्रांक 815 /33–विधायक निधि / 2025–26, दिनांक 12/6/2025 ।

प्रतिलिपि:–

1 खण्ड विकास अधिकारी गंगोलीहाट को संलग्न कार्य के कियान्वयन हेतु कोषागार से वर्तमान मे उक्त चैक / बिल से प्रेषित धनराशि आपके खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। कृपया धनराशि प्राप्ति का खाते से मिलान करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 17,41,634 / – **(सत्रह लाख एकतालीस हजार छः सौ चौंतीस रूपये मात्र)** से संलग्न कार्यों का निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाना है कि उक्त धनराशि का व्यय विधायक निधि के मानको एवं उक्त प्रतिबन्धों के अनुसार किया जा सकता है। धनराशि की प्राप्ति रसीद अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 20 ता0 तक अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा एवं उपभोग के उपरान्त प्रमाण–पत्र मय फोटोग्राफ्स अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना होगा।

2 मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

3 श्री फकीर राम टम्टा जी, मा0 विधायक, वि0स0 क्षेत्र गंगोलीहाट के अवलोकनार्थ।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

Scanned with CamScanner